तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सवाईचन्द शर्मा बनाम** **लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, बालेसर)** सू.अ.अपील संख्या 57/2023	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08—04—24	अपीलार्थी सवाईचन्द शर्मा पुत्र छगनलाल शर्मा निवासी आगोलाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01/09/23 में (1) ग्राम पंचायत आगोलाई सरपंच एवं वार्डपंच चुनाव 2020 में वार्डपंच पद हेतु वार्ड संख्या 4 में वार्डपंच श्री भोमराज सोनी द्वारा आवेदन किया गया उसकी सम्पूर्ण दस्तावेज शपथ पत्र सहित की प्रमाणित प्रतिलिपियां व अन्य बिन्दुओं से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, बालेसर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, बालेसर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, बालेसर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, बालेसर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:20:16 IST
Reason: SelfAttested